UPMP010030812026

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी

पीठासीन अधिकारी– (Rupesh Ranjan), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP**02022

जमानत प्रार्थना पत्र सं०– 1116/2026

जितेन्द्र सिसोदिया उर्फ जीतू पुत्र शिवपाल सिंह निवासी नगला भूपति थाना किशनी जिला मैनपुरी।

–––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य –––विपक्षी

आदेश

1– प्रार्थी/अभियुक्त **जितेन्द्र सिसोदिया उर्फ जीतू** की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र **मुकदमा अपराध संख्या– 156/2026, अन्तर्गत धारा– 103(1), 238, 3(5), 351(3) बी.एन.एस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना– किशनी जिला मैनपुरी** में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना–पत्र में यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में न तो विचाराधीन है, न ही खारिज हुआ है।

3– संक्षेप में लिखित तहरीर के अनुसार अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि, " प्रार्थी मोहित मिश्रा पुत्र शिवस्वरूप मिश्रा निवासी करथिया थाना मोहम्दाबाद जिला फर्रुखाबाद का रहने वाला है। मेरी छोटी बहिन पूजा दुबे पत्नी दिलीप दुबे निवासी मोहल्ला ताल कुसमरा थाना किशनी जिला मैनपुरी, जो दिनांक 07.04.2026 को मेरे घर से मेरे छोटे भाई करन मिश्रा, जो मेरी बहिन को छोड़ने उसके घर कुसमरा गया था, जो रात को वही रुका था। दिनांक 08.04.2026 को मुझे मेरी बहिन पूजा ने मुझसे पूछा कि भाई करन मिश्रा घर आ गया। मैंने मना किया घर नहीं आया है तो मेरी बहिन पूजा ने मेरे छोटे भाई करन की चौकी कुसमरा जाकर गुमशुदगी लिखा दी। मेरी बड़ी बहिन सोनी पत्नी स्व० मूलचन्द अग्निहोत्री निवासी सिमिरया शाहजहांपुर जो मेरे घर पर थी, जिन्होंने मेरी बहिन पूजा के चरित्र के सम्बन्ध में बताया तो हम कुसमरा आये तो मेरे छोटे भान्जे रितिक दुबे उर्फ आयु पुत्र दिलीप दुबे उम्र लगभग 11 वर्ष ने बताया कि मामा करन मिश्रा को जितेन्द्र सिसोदिया उर्फ जीतू निवासी नगला भूपति, जो रात्रि में मेरी मम्मी के पास आया और मामा ने दोनों को देख लिया। इसी बात पर दोनों में कहा सुनी होने लगी और जीतू वहां से बाहर गया और थोड़ी देर अपने भाई जूली उर्फ सतेन्द्र सिंह को साथ लेकर आया और मामा करन मिश्रा की दोनों ने गोली मार दी। जीतू ने सिर में गोली मारी और जूली ने पेट में गोली मार दी और मामा को मामा की मोटर साइकिल से ले जा रहे थे। मम्मी ने मामा को मामा की मोटर साइकिल पर रखवाया और रात्रि में ही कमरे की धुलाई कर दी। गन्दे कपड़े, जो खून से सने थे कचरा वाली गाड़ी में सुबह डाल दिये और मुझे धमकी दी

किसी को बताया तो तुझे जान से मार देंगे। आज मैंने व मेरे परिवार व गाँव वालों ने मेरे छोटे भाई करन मिश्रा के शव को पहचान लिया है। रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। "

4– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि," प्रार्थी को उपरोक्त केस में झूठा पुलिस द्वारा फंसाया गया है। प्रार्थी ने घटना से सम्बन्धित कोई अपराध नहीं किया है और न ही किसी को जान से मारने का कोई कृत्य किया है। प्रार्थी के विरुद्ध कोई भी विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है,जिससे यह साबित हो कि प्रार्थी का घटना में सम्मिलित होना पाया जाये। प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि रितिक दुबे उर्फ आयु जो कि एक नाबालिग है, जिसकी उम्र 11 वर्ष है, ने बताया कि मृतक की हत्या प्रार्थी ने की है। नाबालिग को बहला फुसलाया जा सकता है और नाबालिग को बहला फुसलाकर डरा धमकाकर प्रार्थी के खिलाफ यह झूठा ब्यान दिलाया गया है। प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी का पूजा दुबे से कोई भी नाजायज सम्बन्ध नहीं है। मात्र घटना को रंगत देने के लिए यह कहानी लिखायी गयी है। घटना कारित करने का प्रार्थी के पास कोई मोटिव नहीं है। एफ.आई.आर. में दर्शाया गया है कि प्रार्थी व पूजा दुबे को नाबालिग रितिक दुबे उर्फ आयु ने आपातकालीन स्थिति में देखा और यह बात नाबालिग ने मोहित मिश्रा को बताया उसके बाद वाद–विवाद हुआ। यदि ऐसा हुआ होता तो आस पास के लोगों को भी घटना की जानकारी होती, जबकि ऐसा नहीं है, जिससे घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। जो भी फोटो चार्जशीट में दर्शाये गये, उनसे यह सिद्ध नहीं होता है कि मृतक को प्रार्थी अपनी मोटर साइकिल पर ले गया है। जिससे घटना संदिग्ध प्रतीत होती है, जो भी फोटो दर्शायी है उनमें पीछे की तरफ की स्थिति दर्शायी गयी है। प्रार्थी का चेहरा नहीं आया है। प्रार्थी व मृतका का जमीन की मेड़ को लेकर कहा सुनी हो गयी थी और इसी का फायदा उठाकर मृतक की हत्या किसी और शख्स ने कर दी और प्रार्थी पर अनर्गल आरोप लगाकर झूठा फंसा दिया गया है। ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है, जिससे यह साबित हो कि प्रार्थी द्वारा मृतक की हत्या की गयी हो । प्रार्थी के उपरोक्त प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखायी गयी है, जिससे अगर प्रार्थी का कोई अपराध होता तो उसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शित होता। प्रथम सूचना रिपोर्ट कल्पित तथ्यों पर आधारित है एवं अविश्वसनीय है। घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्वतन्त्र गवाह नहीं दर्शाया गया है। प्रार्थी के ऊपर कोई अपराध नहीं बनता है। प्रार्थी अपनी जमानत देना चाहता है तथा दौरान मुकदमा जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है। "

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध किया गया एवं तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

6– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा केस डायरी का अवलोकन किया।

7– प्राथमिकी के अनुसार,''वादी मुकदमा मोहित मिश्रा की बहिन पूजा दुबे दिनांक 07.04.2026 को अपने भाई करन मिश्रा के साथ अपने घर कुसमरा गयी थी, जहाँ करन मिश्रा रात्रि में रुक गया। अगले दिन करन मिश्रा के घर वापस न लौटने पर उसकी गुमशुदगी दर्ज करायी गयी। तत्पश्चात वादी मुकदमा के 11 वर्षीय भान्जे रितिक दुबे उर्फ आयु ने बताया कि रात्रि में उसने अभियुक्त जितेन्द्र सिसोदिया उर्फ जीतू को उसकी माँ पूजा दुबे के साथ देखा था, जिसे देखकर करन मिश्रा एवं अभियुक्त के मध्य विवाद हुआ। इसके

उपरान्त अभियुक्त जितेन्द्र सिसोदिया अपने भाई जूली उर्फ सतेन्द्र सिंह को साथ लेकर आया, जहाँ अभियुक्त जितेन्द्र सिसोदिया ने करन मिश्रा के सिर में तथा सह–अभियुक्त जूली उर्फ सतेन्द्र सिंह ने उसके पेट में गोली मार दी। तत्पश्चात दोनों अभियुक्त मृतक को उसकी मोटरसाइकिल पर ले गये तथा पूजा दुबे द्वारा घटना–स्थल की धुलाई कर खून से सने कपड़ों को नष्ट कर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया तथा उसके भान्जे को घटना के सम्बन्ध में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गयी। बाद में करन मिश्रा का शव बरामद हुआ जिसकी पहचान वादी मुकदमा एवं उसके परिजनों द्वारा की गयी।'' अभियुक्त प्राथमिकी में नामजद है। प्राथमिकी में नामित अभियुक्ता पूजा देवी द्वारा अपनी बहन सोनी के साथ थाना आकर भाई करन मिश्रा (मृतक)के दिनांक 07–04–2026 को गुमशुदगी दर्ज करायी कि उसका छोटा भाई मुझे मेरी ससुराल कुसमरा छोड़ने आया था जो रात में घर रूका था। सुबह 6 बजे मेरी ससुराल वाले घर से बिना बताये चला गया जो अभी तक अपने घर नही पहुंचा। उक्त के आधार पर थाने पर सह अभियुक्ता पूजा द्वारा गुमशुदगी दी गयी जो थाने पर दर्ज की गई,जिसके संबंध में गुमशुदा की तलाश करने पर इटावा–बेवर रोड से ग्राम धरमंगदपुर को जाने वाले रास्ते पर उत्तर दिशा की तरफ झाड़ियो में एक अज्ञात शव मिला,जिसकी शिनाख्त पूजा देवी द्वारा अपने भाई के रूप में की गई। वादी मुकदमा द्वारा विवेचक के समक्ष दिए गए बयानों में प्राथमिकी में किए गए कथनों की पुष्टि की गई है। घटना के चश्मदीद साक्षी/भान्जा द्वारा विवेचक के समक्ष दिए गए बयानों में कहा गया है कि,**''मेरी उम्र 11 साल है। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। दिनांक 07–04–2026 को मेरी मम्मी पूजा दुबे मेरे छोटे मामा करन मिश्रा उर्फ अंशू के साथ मेरी नानी के घर गांव करथिया मोहम्मदाबाद से मोटर साइकिल से कुसमरा आयी थी। रात के 12 बजे जीतू ठाकुर हमारे घर पर छत से आया था। जीतू हमारे घर पहले भी आता था। जीतू मेरी मम्मी से मिलने आता था। मैं और मेरा छोटा भाई जगे हुए थे। जीतू ठाकुर हमे जगा हुआ देखकर छिप गया था। उससे पहले वह मेरी मम्मी के पास बैठकर बात कर रहा था। मेरे मामा दूसरे कमरे में सोये थे। वह पेशाब करने उठे थे। जीतू और मेरे मामा करन की आपस में लड़ाई हुई। मेरी मम्मी देख रही थी। उसके बाद जीतू ने मेरे मामा को बंदूक से पेट पर गोली मार दी। गोली मारने के बाद जीतू ने अपने भाई जूली को घर पर बुलाया। फिर यह तीनो जूली,जीतू और मम्मी तीनो मामा को उठाकर सीढ़ियों से दूसरे दरवाजे से घर से बाहर ले गये। छत से मेरी मम्मी नीचे आ गयी। मेरी मम्मी ने घर में गिरे खून को पौंछा से साफ किया। उस पौंछे को मम्मी ने काली पन्नी में सुबह कूड़ा गाड़ी में फेंक दिया। मैनें अपनी मम्मी से नानी को फोन करके बताने को कहा तो मम्मी बोली कि फिर जीतू(अभियुक्त)सारे घर को मार देगा। अभी नही बताना। जीतू और जूली ने मुझे धमकाया था कि किसी को बताया तो जान से मार देंगे।''** चश्मदीद साक्षी द्वारा प्राथमिकी मे किए गए कथनों की पुष्टि की गई है। फर्द बरामदगी में अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल एक अदद नाजायज तमंचा देशी 315 बोर,एक जिन्दा कारतूस 315 बोर,1 खोखा कारतूस व एक जोड़ी मृतक की चप्पले बरामद होना दर्शित किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निम्न चोटे दर्शित की गई हैं–

Injury No.1

LACERATED WOUND PRESENT OVER RIGHT OCCIPITAL REGION OF HEAD OF 1 ABOUT SIZE 2X1CM WITH UNDERLYING BONE FRACTURE.

Injury No.2

LARGE LACERATED WOUND OF ABOUT 15X7CM PRESENT ON RIGHT SIDE OF 2 FACE INVOLVING FRONTAL, TEMPORAL AND MAXILLARY REGION WITH BRAIN MATTER

COMING OUT FROM THE WOUND.

Injury No.3

A SMALL WOUND OF ABOUT 1.5X1CM WITH INVERTED MARGINS PREESNT ON 3 LOWER LEFT BACK ABOUT 6CM ABOVE THE LEFT PSIS.

Injury No.4

A LARGE LACERATED WOUND WITH EVERTED MARGINS OF ABOUT 3.5X3CM 4 7CM LATERAL TO THE UMBLICUS WITH SMALL INTESTINE BULGING OUT FROM THE WOUND दर्शित की गई हैं तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण Haemorrhagic shock due to antemortem firearm injury दर्शित किया गया है। पंचान गवाहान द्वारा भी प्राथमिकी में किए गए कथनों की पुष्टि की गई है। सीडीआर में अभियुक्त के मोबाइल की टावर लोकेशन दिनांक 07–04–2026 को समय 06:08 बजे से 16:21 बजे तक कुसमरा व समय 18:14 बजे तक गंगरवाला थाना भोगांव मैनपुरी में दर्शित की गई है। अभियुक्त पर अन्य सह–अभियुक्त के साथ मिलकर वादी मुकदमा के भाई करन मिश्रा की गोली मारकर हत्या करने तथा शव को झाड़ियों में छिपा देने,का गंभीर आरोप है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नही है।

तदनुसार आवेदक/अभियुक्त **जितेन्द्र सिसोदिया उर्फ जीतू** की ओर से योजित जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनाँकः 05.08.2026

(रूपेश रंजन)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

मैनपुरी

RUPESH RANJAN

Digitally signed by RUPESH RANJAN
Location: Mainpuri
Date: 2026.08.05 18:39:45 +0530